सन्दर्भ संख्या / Ref. No. :

संदर्भ सं०: पावरग्रिड/उ. क्षे.–3/आर०टी०आई०/ति०1/2 दिनांक: 23.05.2019

सेवा में,
श्री हनुमान सहाय चौधरी
पुत्र श्री कानाराम जाट,
गाँव दामोदरपुरा, पोस्ट-टोडा भाटा
तहसील –बस्सी , जिला जयपुर, राजस्थान 303301
मो० 9929 047 934

विषय: जन सूचना अधिकार के संबंध में आपके पत्र दिनांक 10.04.2019 के सन्दर्भ में

महोदय,
आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी का पत्र दिनांक 10.04.2019, उत्तरी क्षेत्र - 1 के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को दिनांक 26.04.2019 को प्राप्त हुआ |
इस सन्दर्भ में आपको बताना चाहेंगे कि विषयगत मामले में इससे पूर्व आर०टी०आई० आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2015 और 10.06.2016 के सन्दर्भ में पावरग्रिड के उत्तरी क्षेत्र -1 द्वारा जवाब पत्र दिनांक 27.10.2015 और 10.06.2016 के माध्यम से भेजा गया था | पुनः, आप द्वारा भेजे गए आर०टी०आई० आवेदन दिनांक 10.04.2019, जो कि पूर्व में भेजे गए आवेदनों में पूछे गए प्रश्नों को दोहराता है, के जवाब में पूर्व में भेजे गए जवाबों की प्रतियां(03पृष्ठ) आपकी जानकारी हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है |

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:
श्री आर०के०सिंह
कार्यपालक निदेशक, पावरग्रिड उ0 क्षे0 – 3
12 राणा प्रताप मार्ग, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल
लखनऊ – 226001

धन्यवाद,

भवदीय,
23/05/19

[कैलाश कुमार गुप्ता]
वरि० महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी. पी. आई. ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड , लखनऊ

भारतीय डाक
India Post

107
23/05/16

श्रीमान मुख्य प्रबंधक

वी.एस. सासवत पावरग्रिड आगरा

PLAD BASSI <303301>
A RR230111266?IN
Counter No:1,OP-Code:USER
To:SUCHANA OFFICER,BASSI
BASSI, PIN:303301
From:RAJ KUMAR , BASSI
Wt:20grams,
PS:25.00, , 07/07/2015 , 09:53
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

विषय :— आर टी आई द्वितीय अपील आवेदन हेतु।

महोदय,

वर्तमान 400 के वी आगरा — जयपुर दक्षिण डबल सर्किट लाइन है लोकेशन न 583 — 584 के बीच में फसल मुआवजा फार्म नं. 936 के तहत खंसरा नं. 234 है फसल का मुआवजा बना था जो कि अब तक प्राप्त नही हुआ है।

जब लाइन खीची गई थी तब हमारी फसल का मुआवजा बना था तब खेत में फसल खरबुजा ककडी आदी की थी।

हमें निम्नं सुचनाए चाहिए में बदले में जो आर टी आई शुल्क देने के लिए तैयार हुं —

1. हमारा मुआवजा कितनें का बना था।
2. हमें किन कारणो से अभी तक क्यो नही दिया गया।
3. कानाराम पुत्र श्री श्रवण जाट की तो मृत्यु हो चुकी है अब आप देना चाहे तो उनके पुत्रो को मुआवजा प्रदान करें। मैनें पहले भी आर टी आई आवेदन किया था अब जबाब नही आया तो में आगे की कार्यवाही करूगा।

प्राथी

दिनाक — 24.05.2016

कानाराम पुत्र श्री श्रवण जाट

राजकुमार चौधरी

मो0 न. — 8387886421

पावरग्रिड

पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
बी-९ कुतुब इंस्टिटुशनल एरिया
कटवारिया सराय नई दिल्ली

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./851 7812 **दिनांक:27**.10.2015

सेवा में

श्री राजकुमार चौधरी,
दामोदरापुरा, पोस्ट टोडा भाटा, तहसील बस्सी,
जिला जयपुर (राजस्थान)-303301

विषय:आपकी आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक **05.09.2015** के संदर्भ में |

महोदय,

उपरोक्त आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2015 **के द्वारा** सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी आर. टी. आई एक्ट-2005 के तहत आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वर्णित क्लेम फार्म संख्या 936 का कोई भी रिकार्ड हमारे सम्बंधित कार्यालय के दस्तावेजो मे नही है अत: यह हमें प्राप्त नही हुआ है | इसके बारे में कोई भी जानकारी देना सम्भव नही है | फिर भी अगर आप उचित समझे तो पावरग्रिड के सम्बंधित कार्यालय में जाकर सम्पर्क कर सकते है |

कृप्या इसकी पावती भेंजे |

धन्यावाद |

भवदीय

[टी .सी .शर्मा]
कार्यपालक निदेशक(पी .ई .एस .एम्)
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, उ. क्षे. -1

Copy to: N.I.O.:
Shri Rakesh Kumar, GM, Agra: for information and record, please.
AGM (Vigilance), NR-I: for information, please.

149
10/6/16

पावरग्रिड

पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
बी-९ क़ुतुब इंस्टिट्युशनल एरिया
कटवारिया सराय नई दिल्ली

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./851/1090 3053 **दिनांक:10/06/2016**

सेवा में

श्री राजकुमार चौधरी,
दामोदरापुरा, पोस्ट टोडा भाटा, तहसील बस्सी,
जिला जयपुर (राजस्थान)-303301

विषय:<u>आपकी आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2016 के संदर्भ में</u> |महोदय,

उपरोक्त आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2016 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के तहत आपको यह सूचित किया जाता है कि मांगी गई जानकारी हमारे कार्यालय से पत्र सं. पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./851/7812 दिनांक 27.10.2015, स्पीड पोस्ट न. ED 901716732IN दिनांक 28.10.2015 के द्वारा पहले ही भेजी जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)| पुन: आपकी आर. टी.आई दिनांक 24.05.2016 के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि 400 के. वी. डी/सी आगरा-जयपुर लाईन के निर्माण से सम्बंधित सभी उपलब्ध दस्तावेजो/क्लेम फार्मों की जांच करने के उपरांत यह पाया गया है कि आपके द्वारा वर्णित क्लेम फार्म संख्या 936 का कोई भी रिकार्ड हमारे सम्बंधित आगरा कार्यालय के दस्तावेजो मे नही है अत: यह हमे प्राप्त नही हुआ है | इस विषय में सूचना दे पाना संभव नहीं है | तथापि यदि आपके पास उपरोक्त मुआवजा के क्लेम फार्म की प्रति उपलब्ध है तो पॉवरग्रिड आगरा कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस सम्बंध में समुचित जांच करके नियमानुसार कार्यवाही कराई जा सके |

अपील अधिकारी का विवरण निम्न है:

श्री प्रभाकर सिंह, कार्यपालक निदेशक (उ. क्षे. -1)/अपील अधिकारी, पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड , उ. क्षे. -1, बी-9, क़ुतुब इंस्टिट्युशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 फोन न.011-26560203

कृप्या इसकी पावती भेंजे |

धन्यवाद |

भवदीय
10/06

[आदीश कुमार गुप्ता]
उपमहाप्रबंधक(पी .ई .एस .एम्)
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, उ. क्षे. -1
फोन न. 011-26532934 ई-मेल:adishgupta2016@gmail.com

Copy to: N.I.O.: Shri Pankaj Sharma, DGM, Agra: for information and records, please.
AGM (Vigilance), NR-I: for information, please.